उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्या: 1119 /2023-सी0 एक्स0-3

लखनऊ: दिनॉक 17 अगस्त, 2023

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गेल पाइपलाइन नेटवर्क द्वारा देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति के लिए किया जाता है ;

और चूँकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

अतएव अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या:एस0ओ0-1285,दिनॉक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''प्रतिषिद्ध स्थान'' घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टियॉ	
एस0 वी0 एवं आरआर स्टेशन, सिहाना, तहसील-छाता, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश।	
पूर्व में-	सिहाना मार्ग।

पश्चिम में-	गाटा संख्या-145 व गाटा संख्या-147 पर क्रमशः श्याम सुन्दर आदि और उत्तमचंद आदि द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है।
उत्तर में-	गाटा संख्या-146 के अवशेष भाग पर राहुल आदि द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है इसके पश्चात गाटा संख्या-149 है, जिस पर वेदराम आदि द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है।
दक्षिण में-	गाटा संख्या-146 के अवशेष भाग पर बीधा सिंह आदि द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात शिवाल मार्ग है।

आज्ञा से,

Signed by संजय प्रसाद
Date: 16-08-2023 14:47:58
(Reason: Approved)

प्रमुख सचिव।